

**पूर्वोत्तर रेलवे
अधिसूचना**

संख्या:-का/227/राज/सीएमपी

दिनांक 01.06.2022

इच्छुक एवं योग्य चिकित्सकों को पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर मण्डल में कान्ट्रैक्ट मेडिकल प्रेक्टिशनर के रूप में एक वर्ष के लिये अनुबन्ध तथा अस्थाई आधार पर इंगेज किये जाने का निर्णय लिया गया है। इच्छुक चिकित्सकों की उपयुक्तता को जाँचने के लिये एक वॉक इन इन्टरव्यू(Walk-In-Interview) निर्धारित तिथि एवं समय पर मण्डल चिकित्सालय इज्जतनगर में आयोजित किया जायेगा, जिसका विवरण निम्नप्रकार है:-

वॉक इन इन्टरव्यू(Walk-In-Interview) का स्थान		दिनांक एवं समय	
मण्डल चिकित्सालय इज्जतनगर		23.06.2022 समय प्रातः 10:00 बजे	
क्रमांक	पद	रिवित्तियाँ	योग्यता
01	जनरल ड्यूटी मेडिकल आफिसर	03	M.B.B.S+01 Year rotatory internship

Gen=02, OBC=01, SC=Nil, EWS=Nil, ST=Nil

नोट-

1. एक वर्ष की कान्ट्रैक्ट समय सीमा इंगेजमेन्ट की तिथि से गणना की जायेगी तथा सेवा एक वर्ष पूर्ण होने पर स्वतः समाप्त हो जायेगी।
2. सीएमपी को इज्जतनगर मण्डल के क्षेत्राधिकार में कही पर भी पदस्थ किये जाने का अधिकार प्रशासन के पास सुरक्षित है।
3. सेवा निवृत्त रेलवे चिकित्सकों (67 वर्ष से कम) को वरीयता दी जायेगी।
4. अनुभव को वरीयता दी जायेगी परन्तु ऐसे उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं जिसके पास अनुभव नहीं है।
5. कान्ट्रैक्ट मेडिकल प्रेक्टिशनर को प्राइवेट प्रेक्टिस की मनाही होगी।
6. कान्ट्रैक्ट मेडिकल प्रेक्टिशनर रेलवे आवास के लिये यद्यपि पात्र नहीं होंगे परन्तु आवास उपलब्ध होने पर उन्हें सामान्य लाइसेन्स शुल्क की दर पर आवास उपलब्ध कराया जायेगा।
7. रेलवे में अनुबन्ध के दौरान ड्यूटी के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश सीएमपी में चयन के उपरान्त आफर आफ इंगेजमेन्ट द्वारा जारी किया जायेगा।

शैक्षिक योग्यता एवं पात्रता:-

भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से उम्मीदवार की पद के सामने अंकित योग्यता पूर्ण होनी चाहिये तथा भारतीय चिकित्सा परिषद या किसी राज्य चिकित्सा परिषद के साथ वैध रजिस्ट्रेशन होना चाहिये। कोई अन्य प्रमाण पत्र स्वीकृत नहीं किया जायेगा। वॉक इन इन्टरव्यू हेतु सभी मूल प्रमाण पत्र/दस्तावेज लाना आवश्यक है।

आयु:-

1. सेवा निवृत्त रेल चिकित्सक, राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के सेवा निवृत्त चिकित्सा अधिकारी जो कि 67 वर्ष से कम आयु के हैं तथा शारीरिक रूप से उपयुक्त हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं।
2. अधिसूचना जारी करने की तिथि को 53 वर्ष से कम आयु होनी चाहिये। यद्यपि अधिकतम आयु सीमा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिये 05 वर्ष एवं ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये 03 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।

3. राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के सेवा निवृत्त चिकित्सा अधिकारियों की आयु अधिसूचना जारी होने की तिथि को 67 वर्ष से कम होनी चाहिये।

पारिश्रमिक-

1. उपरोक्त अधिसूचित पदों के लिये मासिक पारिश्रमिक प्रतिमाह रु0 75,000/- (मकान किराया भत्ता एवं परिवहन भत्ते सहित) निर्धारित दर से भुगतान किया जायेगा।
2. सेवा निवृत्त राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के चिकित्सा अधिकारियों के लिये रेलवे बोर्ड निर्धारित मासिक पारिश्रमिक दिया जायेगा जो कि सेवा निवृत्त चिकित्सक की पेंशन+संविदा पारिश्रमिक को मिलाकर सेवानिवृत्त के समय प्राप्त किये जा रहे अंतिम वेतन से अधिक नहीं होगा।
3. यदि सीएमपी को रेलवे आवास आबंटित किया जाता है तो साधारण किराये के बराबर लाइसेन्स फीस को उनके मासिक पारिश्रमिक से काटा जायेगा।

अन्य नियम व शर्तें-

1. चयनित उम्मीदवारों को चिकित्सा परीक्षा में उपयुक्त पाये जाने पर ही सीएमपी के पद पर इंगेज किया जायेगा।
2. रेलवे के साथ अनुबंध करने वाले चिकित्सक का रेल सेवा में निरन्तरता, स्वतः विस्तार के लिये कोई दावा या अधिकारी नहीं होगा।
3. अनुबंध की वैधता के दौरान सीएमपी उनके बेहतर कैरियर/अन्य किसी आधार पर 14 दिन का पूर्व नोटिस देकर सेवाओं को समाप्त किये जाने के लिये स्वतंत्र होगा। रेल प्रशासन द्वारा भी अनुबंध के दौरान किसी भी प्रकार की पूर्व सूचना दिये बिना या बिना कोई कारण बताये अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है। यदि सीएमपी मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम पाया जाता है तो भी रेल प्रशासन द्वारा उसका अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
4. नियुक्ति किये गये सीएमपी को रेलवे में स्वतः नियमतीकरण या समायोजन का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।
5. नियुक्ति किये गये सीएमपी IRMM 2000 के पैरा 622(8) में "विशेष" रूप से वर्गीकृत किये गये आपरेशनस को छोड़कर स्वयं के लिये निशुल्क चिकित्सा का लाभ उठा सकते हैं। अनुबंध की अवधि के दौरान वह सम्बंधित जोनल रेलवे अस्पताल में सामान्य रूप से उपलब्ध सुपर स्पेशलिटी सेंटर में स्वयं के उपचार की सुविधा ले सकते हैं।
6. रेलवे में अनुबंध के दौरान ड्यूटी के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश सीएमपी को चयन के उपरान्त ऑफर आफ इंगेजमेन्ट द्वारा जारी किये जायेंगे।
7. किसी भी सेवा निवृत्त रेलवे चिकित्सक को जिन्हे सीएमपी के लिये नियुक्त किया जाना है, को सुविधा पास/पीटीओ की सुविधा देय नहीं होगा। आवेदक आवेदन के समय अपनी पदस्थापना का विकल्प दे सकते हैं परन्तु वह प्रशासन के लिये बाध्यकारी नहीं होगा तथा उन्हें प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार कहीं भी पदस्थ किया जा सकता है।
8. साक्षात्कार में सम्मिलित होने मात्र से ही सीएमपी के रूप में चयनित होने का दावा उम्मीदवार नहीं कर सकेगा। चयन मेरिट के आधार पर होगा। यदि कोई उम्मीदवार वॉक इन इन्टरव्यू में चयनित नहीं होता है तो चयनित न होने का कारण नहीं बताया जायेगा।
9. पूर्वोत्तर रेलवे का इज्जतनगर मण्डल बिना कोई कारण बताये इस अधिसूचना को रद्द करने का पूर्ण अधिकार रखता है।

संलग्न-आवेदन का प्रारूप

कृते मण्डल रेल प्रबन्धक(कार्मिक)

इज्जतनगर

अनुबंध के आधार पर सीएमपी के पद पर इंगेजमेन्ट के लिये आवेदन पत्र का प्रारूप सेवा में,

मण्डल रेल प्रबंधक(कार्मिक)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

अभ्यर्थी का अद्यतन
स्वहस्ताक्षरित पास
पोर्ट साइज फोटो

आपके द्वारा जारी अधिसूचना संख्या का/227/राज/सीएमपी दिनांक 01.06.2022 के सन्दर्भ में इज्जतनगर मण्डल, पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर में सीएमपी के पद पर इंगेजमेन्ट के लिये आवेदन कर रहा हूँ।

उम्मीदवार का नाम(हिन्दी में)	
उम्मीदवार का नाम (In English Block Letters)	
पिता/पति का नाम	
पत्राचार के लिये पता (मोबाइल नं० सहित)	
जन्म तिथि(हाईस्कूल प्रमाणपत्र संलग्न करें)	
लिंग(पुरुष/महिला)	
जति(सामा०/ओबीसी/अजा/अजजा)	
यदि सेवा निवृत्त चिकित्सक है तो उसका विवरण पीपीओ./सेवा प्रमाण पत्र सहित	
राष्ट्रीयता	
धर्म	
मातृभाषा	
शैक्षणिक योग्यता (दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करें)	
भा.चि.परि./राज्य चि.प का रजि. नं०	
अनुभव (दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करें)	वर्ष.....माह.....दिन
संलग्न किये गये दस्तावेजों की सूची	

घोषणा— मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने नियम एवं पात्रता की शर्तों को ध्यान से पढ़ा है एवं मैं इनसे संतुष्ट हूँ। आवेदन पत्र में दिये गये समस्त तथ्य मेरी जानकारी/विश्वास के अनुसार पूर्ण एवं सत्य है तथा यदि मेरे इंगेजमेन्ट के बाद किसी भी स्तर पर इनमें किसी प्रकार की कमी पायी जाती है अथवा झूठे पाये जाते हैं तो मेरा इंगेजमेन्ट बिना किसी सूचना के तुरन्त प्रभाव से समाप्त किया जा सकता है।

स्थान:-

दिनांक:-

उम्मीदवार के हस्ताक्षर